न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 45/17 निर्णय दिनांकः– 23-10-17

1. श्रीमती सफी पत्नी स्व. फाजल खॉ जाति मुसलमान साकिन धेघड़ा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शरीफ
3. हनीफ खॉ पुत्रगण फाजल खॉ जाति मुसलमान निवासी धेधड़ा
4. हैनिफा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. स्नेहा राठौड़ पुत्री भंवरसिंह पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी धेधड़ा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 04–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री रामावतार बूरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04–11–2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटान चक 1 आरजेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 18/12 के किला नम्बर 7 ता 10 व 12 ता 14 की कुल 6 बीघा 18 बिस्वा कमाण्ड भूमि का बन्दोबस्त खातेदार है। इसी मुरब्बे के किला नम्बर 11, 15, 16, 18, 18—18, 20, 21, 22, 23, 24 की कुल तादादी 9.03 बीघा अनकमाण्ड भूमि जो आराजीराज थी, अपीलांटान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। जबकि चक 1 आरजेडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 18/12 में पूर्व में रेस्पोडेन्ट को कोइ किला आवंटित नहीं है। फिर भी अन्य सह काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये रेस्पोडेन्ट को मनमाने ढंग से स्मालपेच में आवंटन कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि स्मालपेच में प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है।

आराजी जैर रकबा अपीलांटान की खातेदारी भूमि चक 1 आरजेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 18/12 का ही शेष भाग है जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि मुरब्बा नम्बर 18/12 में नहीं पड़ती है। रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के अनुसार किसी भी आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांटा की वरियता रेस्पोडेन्ट से ऊपर बनती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 120 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। किन्तु बाद तामील नोटिस, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित नहीं आया है। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा चक 1 आरजेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 18/12 में 8 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाकर वरियता के आधार पर किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (अ) हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी चक 1 आरजेडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 18/12 के किला नम्बर 11 व किला नम्बर 15 ता 24 में कुल 8 बीघा भूमि का स्मालपेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन को आवंटित की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार **"रकबा गजट की श्रेणी का नहीं है, फिर भी गजट में प्रकाशित है।"** आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रूटि है। जब आराजी जैर गजट में प्रकाशित है, ऐसी स्थिति में स्मालपेंच आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। लिहाजा आराजी जैर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

(ब) अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि आराजी जैर व उसके चिपते मुरब्बें में शांतिदेवी,

सरफा, बिन्दोबाई, स्नेहा राठौड़, दुलीचन्द व हेमाराम आदि कृषकों की भूमि दर्शाते हुए वरीयता तो निर्धारित की गई है, किन्तु आराजी जैर के आवंटन से पूर्व किसी भी चिपते काश्तकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(स) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर बिन्दू सिंह 7 के अ, ब व स के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 04—11—2016 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 23-10-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर